उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2016/1321/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-4

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश राज्य विधुत उत्पादन निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री बिद्या सागर तिवारी, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उत्तर प्रदेश राज्य विधुत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को उत्तर प्रदेश राज्य विधुत उत्पादन निगम लि0 में निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री बिद्या सागर तिवारी पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2016/1321(1)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2016/1321(2)/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-4

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश जल विधुत निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राजेन्द्र प्रकाश गुप्ता. भूतपूर्व निदेशक (वित्त), पश्चिमांचल विधुत वितरण निगम लि0, मेरठ को उत्तर प्रदेश जल विधुत निगम लि0 में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री राजेन्द्र प्रकाश गुप्ता पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2016/1321(3)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4- श्री राजेन्द्र प्रकाश गुप्ता, फलैट नं0-बी-103 देवर्षि हाइटस, ट्रांसपोर्ट नगर, बागपत रोड, मेरठ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
7- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
8- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2016/1321(4)/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-4

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश जल विधुत निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री सुनील कुमार गोयल, मुख्य अभियंता (फयूल), उ0प्र0 राज्य विधुत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को उत्तर प्रदेश जल विधुत निगम लि0 में निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री सुनील कुमार गोयल पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2016/1321(5)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2016/1321(6)/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-4

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री ब्रजेश कुमार खरे, मुख्य अभियंता एवं अपर सचिव (मा0सं0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री ब्रजेश कुमार खरे पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2016/1321(7)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2016/1321(8)/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-4

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री सरोज कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री सरोज कुमार मिश्रा पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2016/1321(9)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2016/1321(10)/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-4

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री चन्द्र मोहन, मुख्य अभियंता (765के0वी0 डिजाइन यूनिट), उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में निदेशक (आपरेशन) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री चन्द्र मोहन पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2016/1321(11)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2016/1321(12)/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-4

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित कानपुर विधुत आपूर्ति कम्पनी, केस्को-कानपुर के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राकेश कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक (एफ एण्ड ए), उ0प्र0 राज्य विधुत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को कानपुर विधुत आपूर्ति कम्पनी, केस्को-कानपुर में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री राकेश कुमार पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2016/1321(13)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2016/1321(14)/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-4

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित कानपुर विधुत आपूर्ति कम्पनी, केस्को-कानपुर के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राधे श्याम यादव, मुख्य अभियंता (वितरण), पश्चिमांचल विधुत वितरण निगम लि0, मेरठ को कानपुर विधुत आपूर्ति कम्पनी, केस्को-कानपुर में निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री राधे श्याम यादव पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2016/1321(15)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2016/1321(16)/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-4

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित कानपुर विधुत आपूर्ति कम्पनी, केस्को-कानपुर के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर विजय सिंह श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (मीटिरियल मैनेजमेन्ट), मध्यांचल विधुत वितरण निगम लि0, लखनऊ को कानपुर विधुत आपूर्ति कम्पनी, केस्को-कानपुर में निदेशक (वाणिज्य) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री विजय सिंह श्रीवास्तव पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2016/1321(17)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2016/1321(18)/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-4

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मध्यांचल विधुत वितरण निगम लि0, लखनऊ के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री सुधीर कुमार वर्मा, मुख्य अभियंता (एल-1), लेसा, लखनऊ को मध्यांचल विधुत वितरण निगम लि0, लखनऊ में निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री सुधीर कुमार वर्मा पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2016/1321(19)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2016/1321(20)/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-4

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित पश्चिमांचल विधुत वितरण निगम लि0, मेरठ के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री अरविन्द राजवेदी, मुख्य अभियंता (वितरण), गाजियाबाद जोन पश्चिमांचल विधुत वितरण निगम लि0, मेरठ को निदेशक (वाणिज्य), पश्चिमांचल विधुत वितरण निगम लि0, मेरठ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री अरविन्द राजवेदी पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2016/1321(21)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2016/1321(22)/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-4

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय, मुख्य अभियंता (वितरण), इलाहाबाद जोन, पूर्वांचल विधुत वितरण निगम लि0, वाराणसी को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ में निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2016/1321(23)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2016/1321(24)/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-4

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री सुधांशु द्विवेदी, निदेशक (वित्त), पूर्वांचल विधुत वितरण निगम लि0, वाराणसी को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री सुधांशु द्विवेदी पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2016/1321(25)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in